



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243795
CG-DL-E-22022023-243795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772]
No. 772]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

का.आ. 805(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मार्च, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्,—

- अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

मणिपुर राज्य के इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिले के सभी क्षेत्रों में, उक्त जिले के पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013/04/2023-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st February, 2023

S.O. 805(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Imphal East and Imphal West districts, in addition to the already notified areas of the said districts, in the State of Manipur.

[F. No. S-38013/04/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser